न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 840 सन 2025

अनवान :–

1. रेशमा पत्नी नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड्र संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
2. सद्दअली पुत्र स्व नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड्र संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
3. सलीम पुत्र स्व नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड्र संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
4. युसुफ पुत्र स्व नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड्र संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
5. कश्मीर पुत्र स्व नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड्र संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
6. जरीना पुत्री स्व नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड्र संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर

   आमीन पुत्र स्व नूर मोहम्मद (फोत)
7. हमीदाबानो पत्नी स्व आमीन खा पुत्र नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड्र संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
8. मुस्कान पुत्री स्व आमीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड्र संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
9. रोकन पुत्री स्व आमीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड्र संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 05/01/26

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मोजा थिराना के खाता संख्या 434/427 के खसरा न0 62/4 की 1.4040हैक्‍ भूमि वादीगण के पूर्वज नूर मोहम्मद पुत्र रमज्यान जाति निलगर साकिन नोहर को दिनांक 18.01.1984 को आवंटन की गई थी। आवंटन के समय से उक्त भूमि वादी/आवंटी नन्दराम पुत्र हिराराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा थिराना के खसरा न0 62/4 की 1.4040है की भूमि नूरमोहम्मद पुत्र रमज्यान जाति निलगर को दिनांक 18.01.1984 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता नूर मोहम्मद पुत्र रमजान के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी नूरमोहम्मद उसके वारिसान वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादीगण के पिता नूरमोहम्मद पुत्र रमजान को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता नूर मोहम्मद नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी नूर मोहम्मद पुत्र रमजान को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी रोही मौजा थिराना` खाता संख्या 434/427 के खसरा न0 62/4 [illegible]040हैक्‍ भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या [illegible] को कई [illegible] कहा की वादी के पि[illegible] आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible]र देवे तो इन्कार हो[illegible]सलिये यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:59:38 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 434/427 के खसरा न0 62/4 की 1.4040हैक्ट भूमि जो वादी के पिता नूर मोहम्मद पुत्र रमजान जाति निलगर साकिन नोहर को दिनांक 18.01.1984 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता नूरमोहम्मद के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता नूरमोहम्मद के देहान्त होने के बाद वारिसान वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में रिपोर्ट पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा थिराना के खाता संख्या 434/427 के खसरा न0 62/4 की 1.4040हैक्ट भूमि वादीगण के पूर्वज नूर मोहम्मद पुत्र रमज्यान जाति निलगर साकिन नोहर को दिनांक 18.01.1984 को आवंटन की गई थी। आवंटन के समय से उक्त भूमि वादी/आवंटी नन्दराम पुत्र हिराराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा थिराना के खसरा न0 62/4 की 1.4040है की भूमि नूरमोहम्मद पुत्र रमज्यान जाति निलगर को दिनांक 18.01.1984 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता नूर मोहम्मद पुत्र रमजान के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी नूरमोहम्मद उसके वारिसान वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादीगण के पिता नूरमोहम्मद पुत्र रमजान को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता नूर मोहम्मद नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी नूर मोहम्मद पुत्र रमजान को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी रोही मौजा थिराना खाता संख्या 434/427 के खसरा न0 62/4 की 1.4040हैक्ट भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा थिराना के हाल खसरा न0 62/4 की कुल 1.4040हैक्ट भूमि नूर मोहम्मद पुत्र रमजान जाति निलगर साकिन नोहर को दिनांक 18.01.1984 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश /तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि नूरमोहम्मद पुत्र रमजान जाति निलगर का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिसान वादीगण है जो प्रस्तुत सजरा खानदान से साबित है तथा वारिसान के सम्बध मे पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नहीं किया गया है।

वाद भूमि नूरमोहम्मद पुत्र रमजान को दिनांक 18.01.1984 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता नूरमोहम्मद पुत्र रमजान के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी नूरमोहम्मद के देहान्त होने पर वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:59:38 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के पिता नूरमोहम्मद पुत्र रमजान को रोही मौजा थिराना के हाल खसरा न0 62/4 में भूमि आवंटन की गई थी वादी के पिता नूरमोहम्मद को दिनांक 18.01.1984 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता नूरमोहम्मद के नाम बतौर गैरखातेदारी दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज नूरमोहम्मद पुत्र रमजान को आवंटन दिनांक 18.01.1984 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 18.01.1984 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वादी के पिता को आवटन की गई भूमि को वादी व तरतीबी प्रतिवीदगण बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता किशनाराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:59:38 IST
Reason: SelfAttested

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी

Rahul.

अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता नूरमोहम्मद पुत्र रमजान जाति निलगर साकिन नोहर (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा थिराना के खसरा न0 62/4 की कुल 1.4040हैक भूमि आवंटन दिनांक 18.01.1984 को आवटन की गई थी जो राजस्व रिकार्ड में नूरमोहम्मद के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता नूरमोहम्मद पुत्र रमजान को आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा थिराना के खसरा न0 62/4 की कुल 1.4040हैक भूमि वादी के पिता नूरमोहम्मद पुत्र रमजान जाति निलगर को दिनांक 18.01.1984 को आवंटन की गई थी वादी के पिता को आवटन की गई थी जो आवंटन आदेश ,एव तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार वादी भूमि जो वादी के पिता को आवंटन की गई थी पूर्व में वादी के पिता नूरमोहम्मद पुत्र रमजान के कब्जा काश्त में चली आ रही थी वादी के पिता नूरमोहम्मद के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा काश्त की पूष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एव प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णरूप से साबित है वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी अधिसुचनाओं/परिपत्र के परिपेक्ष्य में ही प्राप्त करने का अधिकारी है अर्थात वादी उपनिवेशन नियमों के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 434/427 के खसरा न0 62/4 की 1.4040हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

अनवान :–

1. रेशमा पत्नी नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड़ संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
2. सद्दअली पुत्र स्व नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड़ संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
3. सलीम पुत्र स्व नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड़ संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
4. युसुफ पुत्र स्व नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड़ संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
5. कश्मीर पुत्र स्व नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड़ संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
6. जरीना पुत्री स्व नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड़ संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
   आमीन पुत्र स्व नूर मोहम्मद (फोत)
7. हमीदाबानो पत्नी स्व आमीन खा पुत्र नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड़ संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
8. मुस्कान पुत्री स्व आमीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड़ संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर
9. रोकन पुत्री स्व आमीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति निलगर साकिन वाड़ संख्या 9 नोहर हाल निवासी आबाद वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 840 सन 2024 निर्णय दिनांक – 05/01/2026

आज यह वाद मुझ राहूल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 434/427 के खसरा न0 62/4 की 1.4040हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Signature Not Verified

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested